77

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक- प.6(1)राज.-6/2001/6 जयपुर,दिनांक:-23 .02.2006

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

विषय:-राजस्व अधिकारियों द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में जारी निर्देशों को अतिक्रमण करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार किसी व्यक्ति को उसकी धारित कृषि भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर को ध्यान में रखते हुए उस सीमा तक हैसियत प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा। और यदि उस व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व की अकृषि सम्पत्तियां भी है तथा वह व्यक्ति उसे हैसियत प्रमाण के आधार स्वरूप सम्मिलित करना चाहता है तो तहसीलदार उस व्यक्ति के स्वामित्व की अकृषि सम्पत्ति के बारे में संबंधित उप-पंजीयक से उसकी डी.एल.सी. दर पर संभावित वेल्युएशन प्राप्त करेगा और दोनों सम्पत्तियों(कृषि तथा अकृषि सम्पत्ति) को सम्मिलित कर हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि हैसियत प्रमाण-पत्र में स्पष्ट तौर पर अंकित की जावे, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति हैसियत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अपनी घोषित कृषि/अकृषि सम्पत्ति को हस्तान्तरित कर दे।

आज्ञा से

23/2/06

(के0 जी0 अग्रवाल)
शासन उपसचिव,राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजीसचिव,मा0 मुख्यमंत्री महोदया,/विशिष्ट सहायक,मा0राजस्व मंत्री.
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,राज0,जयपुर।
3. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,राजस्व/शासन सचिव,राजस्व।
4. निबन्धक,राजस्व मण्डल,राजस्थान,अजमेर।
5. राविरा,राजस्व मण्डल,राज0,अजमेर।
6. अतिरिक्त निबन्धक,राजस्व मण्डल(वित्त एवं लेखा),अजमेर।
7. रक्षी पत्रावली।

23/2/06

शासन उपसचिव,राजस्व